

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक S123 /टीसी/23/भोपाल/उपां/नग्रानि/2020-22

भोपाल,दिनांक:- 7/12/2022

प्रति,

- 1 कलेक्टर,  
जिला भोपाल (म.प्र.)।
- 2 संयुक्त संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
भोपाल (म.प्र.)।
- 4 आयुक्त  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
जिला भोपाल (म.प्र.)।

विषय:-

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन भोपाल विकास योजना, 2005 में नगर निगम भोपाल के आधिपत्य की ग्राम भानपुर तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 120, 121, 122, 129, 130, 131/1, 132/1, 133, 134, 136/1, 137/1, 138/1, 248/134 कुल रकबा 10.5720 हेक्टेयर में से 6.9560 हेक्टेयर भूमि के कृषि एवं मार्ग से आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना), यातायात (आई.एस.बी.टी. बस स्थानक) एवं मार्ग भूमि उपयोग उपांतरण बाबत।

--0--

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- 12/12/2022

पृ. क्रमांक

/टीसी/23/भोपाल/उपां/नग्रानि/2020-22

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर शासन के पत्र क्रमांक 1926/825/18-5/2021 भोपाल, दिनांक 28/07/2022 के तारतम्य में सूचनार्थ।
- 2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरस कालोनी, हवीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल,दिनांक:- 7/12/2022

क्रमांक 5121 /टीसी/23/भोपाल/उपां/नग्रानि/2020-22 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

क्रं	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
					आवासीय (प्रधानमंत्री आवास योजना)	यातायात (आई.एस. बी.टी. बस स्थानक )		
1	भानपुर (भानपुर खंती) तहसील हुजूर जिला भोपाल	120	1.9430	0.3090	--	0.3090	कृषि	यातायात
2		121	1.8540	1.7630	0.3148	1.4482	कृषि	आवासीय एवं यातायात
3		122	0.9060	0.3990	0.1067	0.2923	कृषि	आवासीय एवं यातायात
4		129	0.4900	0.0050	0.0050	--	कृषि	आवासीय
5		130	1.2950	0.7630	0.7630	--	कृषि	आवासीय
6		131/1	1.2270	1.2030	1.2030	--	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
7		132/1	0.4210	0.4210	0.4210	--	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
8		133	0.8410	0.8410	0.8410	--	कृषि	आवासीय
9		134	0.1460	0.1460	0.1460	--	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
10		136/1	0.4780	0.3750	0.1718	0.2032	कृषि एवं मार्ग	आवासीय, यातायात एवं मार्ग
11		137/1	0.0360	0.0080	--	0.0080	कृषि एवं मार्ग	यातायात एवं मार्ग
12		138/1	0.8580	0.6720	--	0.6720	कृषि एवं मार्ग	यातायात एवं मार्ग
13		248/134	0.0770	0.0510	0.0510	--	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		<b>कुल रकबा</b>	<b>10.5720</b>	<b>6.9560</b>	<b>4.0233</b>	<b>2.9327</b>		

निरंतर.....2

शर्त :-

1. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक 1926/825/18-5/2021 भोपाल, दिनांक 28/07/2022 के अनुपालन में स्थल पर निर्माण / विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव/ उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित रेल्वे की भूमि सीमा से 30.00 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण के पूर्व रेल्वे विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. स्थल के सम्मुख स्थित मार्ग (दामखेडा बायपास मार्ग) की प्रस्तावित चौड़ाई 66.00 मीटर निर्धारित है। अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
4. स्थल के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में राजस्व अभिलेख के अनुसार स्थित नाले के किनारे पे दोनों ओर 9.00 -9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा।

उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाइट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल